International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 10 Issue 4, July-August, 2022, Impact Factor: 7.326

प्राचीन भारत में दण्ड प्रावधानों में भेदभाव की प्रवृतिः एक अध्यन

डॉ. नीलम रानी[1], मनु देव[2]

[1]सह.आचार्य, इतिहास विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविधायालय, रोहतक
[2]शोध छात्र, इतिहास विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविधायालय, रोहतक

सार :–

दण्ड देने से यह अभिप्राय है, कि किसी अपराध के लिये, दण्ड सिद्ध होने पर दण्डित करना। प्राचीन काल में दण्ड विधान, व्यापक रूप से कठोर होता था। यह दण्ड मनु स्मृति के अनुसार दिये जाते थे तथा दण्ड राजाओं द्वारा या कानून सम्बन्धी अधिकारियों द्वारा निर्धारित किये जाते थे, परन्तु इन दण्डों को देने पर वर्ण, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव बरता जाता था। इन दण्ड़ो को क्रियान्वित करने पर, इन प्रकार के भेद–भाव के लिये, जो मानदण्ड प्रयोग में लाये जाते थे, इन सभी कारणों का कारण सम्बन्धके संदर्भ में समीक्षा की गई है।

कुंजी शब्द :– दण्ड विधान, मनु स्मृति, भेदभाव, मानदण्ड कारण– सम्बन्ध।

परिचय :–

दण्ड व्यवस्था प्रत्येक युग मे रही है, चाहे वह प्राचीन काल हो, मध्यम काल हो या आधुनिक काल हो। दण्ड व्यवस्था का प्रावधान कभी भी समान नहीं रहा। प्राचीन काल में दण्ड व्यवस्था को लोक तान्त्रिक दण्ड व्यवस्था तो नहीं कहा जा सकता। क्योंकि प्राचीन काल में न्याय देने का अधिकार, वहाँ के समकालीन राजाओं द्वारा निर्धारित होता था। जो मनु स्मृति से व्यापक रूप से प्रभावित था। मनु स्मृति के अनुसार प्राचीन काल की दण्ड व्यवस्था पूर्ण तथा प्रभावित होने के कारण, असंगत तथा लोकतान्त्रिक नहीं थी। यद्यपि प्राचीन काल में दण्ड विधान अत्यन्त कठोर था, परन्त इन दण्ड प्रावधानों में विशेष व्यवस्थाओं में धर्म,जाति तथा वर्ण के आधार पर नर्मी बरती जाती थी। प्राचीन काल से ही, दण्ड एक व्यक्तिगत मामला होता था, जो मूलतः (Lex Talionis) के सिद्धान्त पर आधारित था लेक्स तालिओनिस सिद्धांतके अनुसार, प्रारंभिक बेबीलोनियम कानून में विकसित सिद्धान्त और बाइबिल और प्रारंभिक रोयन कानून दोनों में विद्यमान है, कि अपराधियों को सजा के रूप में ठीक इन चोटों और हानियों को प्राप्त करना चाहिये जो उन्होंने अपने पीड़ितो को दिये थे (दमपंती दूनगंजी, 1986).

अपराध व दण्ड की विभेदात्मक प्रवृति प्राचीन भारत में, मनु स्मृति के अनुसार, मुख्तः शारीरिक तथा आर्थिक दण्ड दिया जाता था। दण्ड के रूप मे ब्राहमिन, शारिरिक दण्ड से छूट प्रदान की जाती थी। (आयुष वर्मा, 2021) इस प्रकार, ब्राह्मणों को उचित दण्ड न मिलने का विशेषाधिकार था, जो अपराध करने पर उचित दण्ड के भागीदार नहीं माने जाते थे। प्राचीन काल में दण्ड अपराध के अनुसार नहीं, अपितु वर्ण के आधार पर ही दिए जाते थे।मनू के अनुसार ''जब किसी आम अपराधी को एक कारशेपाने का दण्ड दिया जाता था और इसके विपरीत, राजा के अपराधिक सिद्ध होने पर 1000 कारशेपाने के दण्ड का हकदार होता था। यदि कोई शुद्र इस अपराध को करता है तो इस अपराध के लिये 6 गुणा दण्ड दिया जाता था। किसी वैश्य के सन्दर्भ में यह दण्ड 16 गुणा बढ़ जाता था (वर्मा, रमेश चन्द्र छाजत 2014)

वेदों के अनुसार, प्राचीन काल मे कानून बनाते समय, कानूनों का नियंत्रण अपराध की प्रवृति आयु, शक्तिचरित्र, अपराधी की अर्थिक स्थिति तथा अपराधी के ज्ञान बोध के अनुसार दण्ड दिया जाता था। इन

बातों के अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाता था, कि अपराधी ने अपराध पहली बार किया है, कि दोबारा किया है (कोटल्य अर्थशास्त्र)

कोटल्य के अर्थशास्त्र (पद 3.1.38) के अनुसार :–

दण्ड निति, जो कि अर्थशास्त्र का ही एक अभिन्न भाग है,वह न्याय पालिका का संगत पूर्ण वर्णन करता है। दण्ड का प्रावधान धर्मशास्त्र के अनुसार भी होता है। इन मान दण्डों का प्रासेगिता आज की न्याय प्रणाली में भी व्यापक रूप से प्रयोग लाया जाता है। कोटल्य के अनुसार, प्राचीन व मोर्य काल में न्याय प्रणाली पर धर्म, साक्ष्य, रीति रिवाज, राजकीय आदेश अथवा कानून के लागू होने की घोषणा के अनुसार होता था।(W. Mabbett, 1964)

अपराध सम्बन्धित प्रशासन का मूल सम्बन्ध विकास वैदिक काल से है। अर्थशास्त्र के अनुसार यह वैदिक काल से मौर्य काल में प्रवेश हुआ था। प्राचीन काल में दण्ड विधान बहुत ही कठोर एव विभेदात्मक था। इस सन्दर्भ में अपराध और दण्ड के विषय में आगे बढ़ना, एक विरोधाभाष उत्पन्न करता है। यह विरोधाभाष एक स्मृति और अन्य स्मृतियों के अन्तर से होता है। इस के पश्चात राजनैतिक संस्थान, दण्ड विधान के क्रियान्वित करने के सक्षम रूप से समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। ताकि वह दण्ड विधान को तर्कशील रूप को क्रियान्वित कर सके। (रंगराजन, एल० एन, 1992)

दण्ड विधान को भेद–भाव रूप से कियान्वित करने के लिए व्यापक रूप से धर्म ने प्रभावित किया है। विशेषकर वैदिक काल से प्राचीन काल तक धर्म न्याय प्रणाली पर व्यापक रूप से प्रभाव डालता था। प्रारंभिकवर्षों में राजा के पास कानून सम्बन्धी कोई शक्तियाँ नहीं होती थी, परन्तु कालन्तर में राजा ने कानूनी शक्तियों का प्रयोग करनाप्रारम्भ किया था। भारत के प्राचीन इतिहास से यह से प्रतीत होता है कि कानून, हिन्दू कानून (Hindu low) से व्यापक रूप से प्रभावित होता था।

हिन्दुत्व, प्रत्येक के जीवन शैली का आधार होता था, जो दण्ड विधान को प्रत्यक्ष या प्रोक्ष रूप से प्रभावित करता था यह एक परिवार की तरह होता था, जिसमें चार वेद, 8 पुराण, 108 उपनिषद्, रामायण एवं महाभारत की कई नीतियाँ, भागवत गीता, मनु संहिता, तुलनात्मक कोटल्य का अर्थशास्त्र इत्यादि। इन्ही सभी ग्रंथों का केन्द्र बिन्दु एक 'धर्म' ही होता था। इन्हीं के दर्शन शास्त्र के निचोड़ को लेकर, कानूनी प्रक्रिया में सम्मलित किया गया था। इन्हीं सभी ग्रंथों की सोच को लेकर 'दण्ड विधान' एक विभेदात्मक प्रवृति का प्रयोग करके, जाति, धर्म, लिंग वर्ण को आधार मान कर दण्ड को निर्धारित करने की प्रथा का प्रारंभ हुआ था। धर्म का प्रभुत्व, जो कि नैतिकता पर आधारित था न कि कानून सम्बन्धी दृष्टि कोण से उचित, जो दण्ड विधान को व्यापक रूप से प्रभावित करता रहा (एस० राधाकृष्णन, 1932)

प्राचीन काल में प्रचलित दण्ड विधान की समीक्षा करने पर यह पता चलता है, कि सभी प्रकार के अपराधों का दण्ड विधान, धर्म के आधार पर होता था। इन सभी अपराधियों की दण्ड व्यवस्था, वर्ण, जाति के अनुसार भी होता था। उदारहरण तथा ब्राह्मण को अपेक्षा कृत कम दण्ड मिलता था, जबकि उसी अपराध के लिए शुद्र को अपेक्षाकृत अधिक दण्ड मिलता था। यदि कोई वैश्य, शुद्र या क्षत्रिय, बार–बार न्यायालय में झूठा साक्ष्य देता था, तो वो दण्ड का पात्र होने के साथ–साथदेश निकाला के लिए बाध्य भी होता था। इस संदर्भ में ब्राह्मिण के लिए केवल दण्ड भुगतने का बाध्य होता था, न कि देश निकाले के लिए।

मनु समृति के अनुसार दण्ड विधान के सन्दर्भ में ब्राह्मण को उच्च स्थान पर रखा। दण्ड के सन्दर्भ में, मनु ने दस ऐसे स्थान चिंहित किये जो तीन वर्णों को तो प्रभावित करते थे परन्तु ब्राहमण पर कोई आँच नहीं आती थी। मनु ने नारी के विषय में भी दण्ड व्यवस्था को लेकर कई प्रकार के की आलोचना का सामना किया। क्योंकि प्राचीन भारत में एक अपराध के लिए, पुरुष एव स्त्री के लिए, दण्ड की व्यवस्था पृथक–पृथक थी। मनु समृति के अनुसार, यदि कोई स्त्री, किसी अन्य पुरुष के साथ, जो उसका पति नहीं है, उसे छूती है, यहाँ तक कि केवल बात भी करती है, तो उस स्त्री को किसी नरभक्षी पशु के सामने डाल दिला जाता है। (मनु स्मृति, अध्याय 8, 379–81)

निष्कर्ष :–

प्राचीन भारत तथा मौर्य काल के दण्ड विधान की समीक्षा करने पर यह पता चलता है, कि इस काल में दण्ड में व्यवस्था धार्मिक नैतिकता, मूल्यों व धार्मिक सिद्धान्त के आधार पर होती थी। मनु समृति के अनुसार, किसी भी अपराध का दण्ड, अपराधी के दण्ड उसके धर्म, जाति, वर्ष तथा लिंग के आधार पर निर्धारित होता था, जो बहुत ही असंगत था। आज की न्यायप्रणाली भी कुछ धार्मिक विभेद के कारण, नागरिक कानून में विभेदात्मक दृष्टि कोणों के कारण चर्चा का विषय रही है। यह सुधार समान नागरिक नियम (Uniform civil code) आने पर ही, भारत के लोगो में के लिए एक प्रकृतिक न्याय(Natural justiceलाया जा सकेगा। यह सत्य हैं, कि प्राचीन तथा मौर्य काल में विभेदात्मक दण्ड व्यवस्था के लिए, मनु स्मृति तथा कोटल्य का अर्थशास्त्र मे दिये गये, धार्मिक तथा राजनैतिक व्याख्यान को लेकर दएड विधान गठित किये गए थे, जो न्याय की दृष्टि से असंगत व अलोकतान्त्रिक थे। जाति व वर्ण व्यवस्था का व्यापक रूप से प्रभाव, दण्ड विधान में मानवीय, असंगत तथा पक्षपात पूर्ण रहा है।

संदर्भ :–

1. आयुष वर्मा (2021), ''प्राचीन भारत में न्याय शास्त्र का विकास Pleader Intelligentlogal Solution,जनवरी 28, 2021
2. तारापाडा लाहिरी (1986), प्राचीन भारत में अपराध एवं दण्ड विधान, रिडियंट, प्रकाशक, नई दिल्ली।
3. डेविस डोनाल्ड (2010), हिन्दू कानून की आत्मा, ''कैम्ब्रीज विश्वविधालय, प्रैस नई दिल्ली।
4. दमयंती दून गाजी (1986), प्राचीन हिन्दू समाज में अपराधियों के लिए दण्ड व्यवस्था ''अजन्ता प्रकाशन नई दिल्ली।
5. दास गुप्ता (1930), प्राचीन भारत में अपराध एवं दण्ड व्यवस्था का प्रावधान, कलकत्ता प्रकाशन, कलकत्ता।
6. मीरा पटेल (2021), ''प्राचीन भारत में दण्डों का इतिहास''(www. legalities. in / history of punishment
7. श्याम प्रसाद गुप्ता (1930), ''प्राचीन भारत में अपराध एवं दण्ड व्यवस्था'' बुक कम्पनी, कलकत्ता
8. स्मिथ ब्रियान (1994), ''ब्राह्मांड का विभाजन : प्राचीन काल वर्ण व्यवस्था एवं जाति की उत्पत्ति आक्फोर्ड प्रैस, न्यूयॉर्क (संयुक्त राष्ट्र अमेरिका)
9. एस० राधा कृष्णन (1932) 'हिन्दुत्व का हृदय' 24 नटसन कम्पनी, मद्रास (तामिल नाडू)
10. रंग राजन, एल० एन (1992) कोटल्य अर्थशास्त्र पेगुएन बुक, इण्डिया प्रा० लि० नई दिल्ली।
11- W. Mabbett (1964) "The Data with Arishshashtra," 84 Journal of Americanoriental Society Page- 85-91.
12- वर्मा, डी० पी० एवं रमेश चन्द्र, छाजटा (2014),''प्राचीन भारत में हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए मानव अधिकार''10SR Journal of humanities' And Social Science, Vol-19 188, 12 (Dec. 2014) pp- 84-91.